

४ | HP/2014/RD

12:21PM

24.3.14

[प्रारूप 2 क.]

(नियम 4 देखिए)

नाम निर्देशन पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2 इनमें से जो भी लागू न हो उसे काट दें।

भाग - I

मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किए गये अभ्यर्थी द्वारा प्रयुक्त किया जाना है।

* 33 - बक्सर

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करता हूँ।

अभ्यर्थी का नाम - २ घाम लाल सिंह कुरुक्षाहा पिता/माता/पति का नाम रामदेव सिंह
इनका डाक पता ग्राम - अमृथुआँ, पोस्ट - अरियाँव, धाना - कुण्डलगढ़, ज़िला - बक्सर

इनका नाम 33- बक्सर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट २०१ - डुमराव (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या ५८ में क्रम संख्या १२१ पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम रेणा रातुन है जो 33- बक्सर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट २०२ राजपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग १३९ में क्रम संख्या ५२० पर प्रविष्ट है।

दिनांक २४.०३.२०१४

रेणा रातुन
प्रस्तावक के हस्ताक्षर

(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा नहीं खड़ा किए गये अभ्यर्थी द्वारा प्रयुक्त किया जाने के लिए)

हम एतद द्वारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचक के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम पिता/माता/पति का नाम

उसका डाक पता

उसका नाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

(मेरे समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) की निर्वाचन नामावली के भाग सं क्रम संख्या पर प्रविष्टि है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं तथा हमारा नाम उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट है जैसे कि नीचे उपदर्शित है और हम इस नाम निर्देशन की सहमति के एवज में अपना हस्ताक्षर नीचे करते हैं।

प्रस्ताव करने वाले व्यक्तियों का विवरण तथा उनके हस्ताक्षर

क्रम सं०	प्रस्तावक की निर्वाचक नामावली संख्या			पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र खण्ड का नाम	निर्वाचक नामावली की भाग संख्या	उस भाग संख्या में क्रम संख्या			
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

टिप्पणी : प्रस्तावक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के 10 (दस) निर्वाचक होने चाहिए।

भाग - III

मैं भाग I / भृष्ट 11 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नाम निर्वाचन की अनुमति देता हूँ तथा एतद द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि -

(क) मैंने ५७ वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है।

निम्नलिखित ख (i) या ख (ii) में से जो भी लागू न हो उसे काट दें।

(ख) (i) कि मैं इस निर्वाचन में जेनरल/दल/~~द्रुताइ~~दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ जो कि इस राज्य में एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आवंटित किया जाय।

या

(ii) कि मैं इस निर्वाचन में दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ जो एक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। मैं यह निर्वाचन एक निर्दलीय/अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दें) तथा मैंने अधिमान्य क्रम में

(i) (ii) (iii)

प्रतीक चुना है।

(ग) कि मेरा नाम तथा मेरे पिता/मात्रा/पत्रि के नाम की उपर अंकित वर्तनी देवनागरी(हिन्दी) में (भाषा का नाम) सही है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने हेतु अर्हित हूँ और निरहित भी नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं X जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो X

उस राज्य में के X (क्षेत्र) X से संबंधित अनुसूचित X

जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि लोक सभा के वर्तमान में साथ में होने वाले "सामान्य निर्वाचन/उप-निर्वाचनों के लिए दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से नाम निर्दिष्ट नहीं हुआ हूँ या किया जाऊँगा।

दिनांक २४.०३.२०१४

Abrahamanand
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

★ जम्मू तथा कश्मीर, अंडमान तथा निकोबार द्वीप, चण्डीगढ़, दादर तथा नगर हवेली, दमन और दीव तथा लक्ष्मीप की दशा में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र शब्दों को काट दीजिए।

★ ★ यदि लागू न हो तो इस पैराग्राफ को काट दीजिए।

★ ★ ★ यदि लागू न हो तो उन शब्दों को काट दीजिए।

/ जम्मू तथा कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप, चण्डीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव तथा लक्ष्मीप के मामले में लागू नहीं होगा।

टिप्पणी : मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से तात्पर्य संबंधित राज्य में निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आबंटन) आदेश 1968 के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल।

भाग III – क

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जायगा)

क्या अभ्यर्थी –

- (i) को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (आपराधों) में, या (ख) की उप धारा (2) में विनिर्दिष्ट विधि के उल्लंघन के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है; या
- (ii) उसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) में दोषी पाया, जिसके लिए उसे दो वर्षों या उससे अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।

यदि उत्तर "हाँ" है तो अभ्यर्थी को निम्नलिखित सूचनाएं देनी होंगी।

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट सं./सं. X
- (ii) पुलिस स्टेशन X जिला (ज़िले) X राज्य X
- (iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारायें) तथा अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके लिए उसे सिद्ध दोष ठहराया गया था X
- (iv) दोष सिद्धि की तारीख (तारीखें)..... X
- (v) वह न्यायालय (न्यायालयों) जिसने अभ्यर्थी को सिद्ध दोष ठहराया था X
- (vi) अधिरोपित दण्ड कारावास (कारावासों) की कालावधि इंगित करें तथा / या जुर्माने की राशि उपदर्शित X
- (vii) कारावास से छूटने की तारीख (तारीखें) X
- (viii) क्या उक्त दोष सिद्धियों के विरुद्ध कोई अपील (अपीलों) पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी/थीं
- (ix) अपील (अपीलों) पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) का विवरण तथा तारीख
- (x) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील (अपीलों)/पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) के लिए आवेदन दाखिल किया गया X
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीले)/पुनर्विचार याचिका (याचिकाएं) का निपटारा कर लिया गया है या वे/वह अभी लंबित हैं X
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) का निपटारा हो गया है तो
 (क) निपटारे की तारीख (तारीखें) X
- (ख) पारित आदेश (आदेशों) का प्रकार (की प्रकृति) X

हाँ/ नहीं

दिनांक 24. 03. 2014
स्थान ब्रह्मनन्द

1/4/2014
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

भाग - IV

(रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरा जाए)

नाम निर्देशन पत्र की क्रम संख्या C4/HP/2014/R0 यह नाम निर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय मे 24.3.2014 (तारीख) को 12.45 (बीमा) बजे को अभ्यर्थी/प्रस्तावक द्वारा दिया गया।

दिनांक 24.3.14
जो शब्द लागू न हो उसे काट दे।

रमण कल्पार
रिटर्निंग ऑफिसर
निर्वाची अधिकारी,
33-बक्सर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

भाग - V

नाम निर्देशन पत्र स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी का विनिश्चय मैंने, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 36 के अनुसार इस नाम निर्देशन पत्र को जाँच लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ : -

दिनांक रिटर्निंग ऑफिसर
(छिद्रण)

ग्राम: डुमरांवा, चारटर आवास, 211-117, 20.2.117
ज़िला: बक्सर, बिहार पीठ कोड 302117 (डाक का
पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/कर्त्ता हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/कर्त्ता हूँ :-

(1) मैं जनता फूल (युनाइटेड) (**) राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/** एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(**) जो लागू न हो उसे काट दे)


(2) मेरा नाम 201 डुमरांव (बिहार) (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं 58 के क्रम सं 121 पर प्रविष्ट है।

8292780189

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं 9939476683 है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) stsc@vsnl.net है। मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (यदि हैं तो).....

है।

24/3/17



33 - बकसर

भौतिक सम्भा
Who is Eligible to be
Advocate and
and Lawyer
for filing
24/3/11

निर्वाचन क्षेत्र से

AKHILESH KUMAR
MOTAR Dist - Buxar (Bihar)

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

भौतिक सम्भा

(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर
के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं इयाम लालसिंह कुशानाहा **पुत्र/पुत्री/पत्नी रामदेव सिंह आयु 59 वर्ष, जो
ग्राम: डमधुआँ, पोखर - अरियांप, धाना - कुलाकुरा
जिला - बकसर, बिहार धीत छोड ३०२११

(डाक का
पूरा पता लिखें)

पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ
शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :-

(1) मैं जनता दल (कुलाकुरा)

(** राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया

गया अभ्यर्थी/** एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।

(** जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम २०१ डुमराँव (बिहार) (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं ५८

के क्रम सं १२१ पर प्रविष्ट है।

८२९२३८०१८९

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं ९९३९४७६६८३ है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो)

stsc@vsnl.net है। मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (यदि हैं तो).....

हैं।

24/3/11

लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्राप्ति :

नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपये में)
स्वयं	AAWPS7816A	2012 - 13	419156/-
पत्रिका पत्नी	ALEPS4434F	ज्ञाहू नहीं	ज्ञाहू नहीं
आश्रित-1	ज्ञाहू नहीं	ज्ञाहू नहीं	ज्ञाहू नहीं
आश्रित-2	ज्ञाहू नहीं	ज्ञाहू नहीं	ज्ञाहू नहीं
आश्रित-3	ज्ञाहू नहीं	ज्ञाहू नहीं	ज्ञाहू नहीं

(5) में ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। दि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :—

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	ज्ञाहू नहीं
ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	ज्ञाहू नहीं
ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	ज्ञाहू नहीं
घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	ज्ञाहू नहीं
इ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	ज्ञाहू नहीं
च)	क्या "सभी या क्षेत्र कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता द्वारा न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	ज्ञाहू नहीं

114
A B U

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/ हैं जिनमें न्यायालय द्वारा सज्ञान लिया गया है
 {पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न}:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और सज्ञान लेने के आदेश की तारीख	आग्रन्ती
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहां न्यायालय ने सज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सज्ञान लिया गया है।	आग्रन्ती
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों) / आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	आग्रन्ती


(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/ नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/ नहीं दिया गया है:

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा :

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	आग्रन्ती
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	आग्रन्ती
(ग)	अधिरोपित दंड	आग्रन्ती
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/ है। यदि हाँ, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रारिथ्मिति	आग्रन्ती

(7) मैं मेरे सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और रथावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ



संस्कृत गों के ब्यौरे:

संयुक्त स्वामित्व की रीमा को उपदोषित करते हए संयुक्त नाम में आरित हो का भी विवरण है।

2- जमा/विनिधान की दशा में कम से ०.२कम जमा की तारीख, रकीम बैंक/संस्था का नाम और सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

3- सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर हिंदेचरों का मूल्य टाँक एक्सचेंजों में चालू बाजार के अनुसार और ऐर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

4- यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 75 के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

उपर्युक्त 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम. सं.	विवरण	स्वयं	पूरि या पत्ती	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	हाथ में नकदी	Rs. 6,50,000/-	Rs. 50,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी है), वित्तीय संस्थाओं, ऐर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिवेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखितों में विनिधान और रकम किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, ज्याद आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अधिम और अणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	बैंक ऑफ महाराष्ट्र मुम्बई-- Rs.20,00,000/- ICICI बैंक मुम्बई-- Rs.4,62,000/- डेवलपमेंट कोडिट बैंक मुम्बई-- Rs.4,300/- बैंक ऑफ महाराष्ट्र मुम्बई-- Rs.34,700/- ICICI बैंक बक्सर -- Rs.32,000/-	ICICI बैंक मुम्बई-- Rs. 8,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)		Samriddh Hospitality Pvt Ltd. Rs.1,20,000	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)		NSC Rs.20,000/- LIC Rs.3,00,000/- METLIFE Rs.1,00,00,000/- R.S.A. Rs.10,00,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(v)		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



११/११/१९८८


	मोटरव्हाइक/वायुयान /याट/पोत(मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि कय करने का वर्ष और रकम)	फिएट पालिओ MH 02 MA 9254, MARCH 2003 Rs.5,50,000/- टोयोटा क्वालिस BR44P0155 OCT.2004 Rs.7,50,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु(वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	10 gm. सोना Rs.30,000/-	स्वर्ण आभूषण Rs.23,00,000/- 750 gm सोना	लागू नहीं	लागू नहीं
viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दाढ़ों/हित का मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ix)	समग्र कुल मूल्य	Rs.1,59,53,000/-	Rs.23,58,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।


टिप्पण 2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

छम.सं.	विवरण	स्वयं	पूर्ति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
i)	कृषि भूमि की अवस्थिति(अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ) क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	मौजा अमथुआ एवं नन्दन 9 एकड़	मौजा अमथुआ 3 एकड़	लागू नहीं लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	5 एकड़	नहीं	लागू नहीं लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में कय की तारीख	1980 से 2008 तक	2005	लागू नहीं लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं
	कय के समय भूमि की लागत (कय की दशा में)	Rs.7,50,000/-	Rs.4,50,000/-	लागू नहीं लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं
	विकास, संविरामण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	Rs.85,00,000/-	Rs.27,00,000/-	लागू नहीं लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं
ii)	गैर कृषि भूमि: अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ) क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	मौजा बक्सर	लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में कय की तारीख	5-5-2005 एवं 27-11-2006	लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं
	कय के समय भूमि की लागत (कय की दशा में)	Rs.13,03,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं



54/5117

		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं		
(iii)	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान अनुमानित चालू बाजार मूल्य वणिजिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ) क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं) स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्य की तारीख क्य के समय भूमि की लागत (क्य की दशा में) विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान अनुमानित चालू बाजार मूल्य	नहीं	Rs. 1,65,00,000/- लोखड़वाला कॉम्प्लेक्स मुम्बई	लागू नहीं लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियों) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याएँ) क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप) क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं) स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्य की तारीख क्य के समय भूमि की लागत (क्य की दशा में) विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान अनुमानित चालू बाजार मूल्य	नहीं	440 वर्गफूट 15-7-2006 Rs. 20,50,000/-	लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	लागू नहीं	नहीं	109000 वर्गफूट 15000 वर्गफूट 2005 Rs. 4,75,000/-	लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं लागू नहीं
				Rs. 1,60,00,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं




10/114

पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	Rs. 5,60,00,000/-	Rs. 75,00,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं लागू नहीं
---	-------------------	-----------------	-----------	-----------------------

(8) में, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता है:-

(टिप्पण :- कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यापिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक् विवरण दे)

क्रम. सं.	विवरण	स्वयं	परिं या पत्ती	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	बैंक/ वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	डेवलपमेंट कैफिट बैंक मुम्बई-- Rs. 6,67,000/- सिटी बैंक Rs. 2,65,000/- (व्यापार ऋण)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	पूर्वोक्त वर्णित से अधिक किन्हीं अन्य व्यापिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	देवेष दधीच एंड कंपनी Rs. 10,00,000/- (व्यवितरण ऋण)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कोई अन्य दायित्व	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	दायित्वों का कुल योग	Rs. 19,32,000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से भरतने वाले विभागों को शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	जल आपूर्ति से भरतने वाले विभाग को शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विद्युत आपूर्ति से भरतने वाले विभाग को शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से भरतने वाले विभाग को शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से भरतने वाले विभाग को शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	आय -कर शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	धनकर शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	सेवाकर शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	नगरपालिका /संपत्ति कर शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	विक्रयकर शाध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कोई अन्य शोध्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



का कुल योग
न्या कोई अन्य दायित्व
विवादाधीन है, यदि हाँ तो
अंतर्वलित रकम और उस
प्राधिकारी जिसके समक्ष यह
लंबित है का वर्णन करें।

लागू गये	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
लागू गये	लागू गये	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

- (क) स्वयं व्यापार एवं कृषि
(ख) पति या पत्नी कृषि (सरकारी प्राप्ति)

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :-

मैट्रिक्युलेशन, एच.ई.स्कूल, आयोग, वी.एस.ई.नीपटा
1967

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दे)

भाग-ख


(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कृष्णशामलाल सिंह कुशवाहा
2	डाक का पता	ग्राम - अमृपुड़ो, पोस्ट - अरिजोन, थाना - कुर्कनाड़मठ, जिला - बलक्ष्मी - 802119
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	33 - बलक्ष्मी, बिहार
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	जनता दल यूनाइटेड
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं। (ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	३५५
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उस अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है (स्लैक एवं अधिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा) (1) उपधारा (2) या (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए	३५५

८०५४

		का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	कुल दर्शित आय
(क) अभ्यर्थी	AAWPS 7816A	2012 - 13		419156/-
(ख) प्रति या पत्नी	ALE PS 4434P	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ग) आश्रित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपए में)	विवरण	स्वयं	प्रति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियाँ (कुल मूल्य)	159.53000/-	230.9000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
ख	स्थावर आस्तियाँ						
I	स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	6108000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
II	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/सन्निर्माण लागत (यदि लागू हो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
III	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत						
	(क) स्वअर्जित आस्तियाँ (कुल मूल्य)	560,00,000/-	7500000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	(ख) विरासती आस्तियाँ (कुल मूल्य)	4800000/-	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
9	दायित्व						
i	सरकारी शोध्य (कुल)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	केन्द्रीय संस्थाओं और अन्य						



20/03/2013

	संकेत (कुल)	१३२०००/-	लग्नवधि	लागू गई	लग्नदाता	लग्नदाता
	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से क्रेड़िट (कुल)		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

11. उच्चतम शैक्षिक अर्हता :

मैदूसुलेखन, एवं डि. सुल अधिकार,
की. एस. डि. बी. 1967

(प्रमाण पत्र / डिप्लोमा / डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय / शिक्षा, विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग के और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है :

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 24.03.2014 को सत्यापित किया गया

Alyan/Mo/ambwade
अभिसाक्षी

अमिसाक्षी



शपथ अथवा प्रतिज्ञान का प्ररूप
[भारत के संविधान का अनुच्छेद 84 (क)]
[संसदीय निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा भरा जाने वाला]

मैं इस्तेहासिक लिंग कुशवाहा..... जो लोक सभा में एक स्थान को भरने के लिए अभ्यर्थी के में नामनिर्देशित हुआ हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ/सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथा पित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर और स्पष्ट अक्षरों में नाम)

श्री/ श्रीमती डॉ मलाल लिंग कुशवाहा ने आज दिनांक २४
(ह) मार्च 2014 को बिहार (स्थान) पर (बजे) मेरे
क्ष ईश्वर की शपथ ली/सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान किया।

प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर
नाम, पदनाम और मुहार)

शपथ पत्र की प्राप्ति के लिए प्रमाण-पत्र
[प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थी को दिया जायेगा]

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य सभा अथवा लोक सभा के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी
.....(नाम) ने (दिनांक) को
..... बजे मेरे कार्यालय में मेरे समक्ष भारत के संविधान द्वारा यथा
क्षेत्र शपथ ली/प्रतिज्ञान किया और उस पर हस्ताक्षर किए।

(प्राधिकृत व्यक्ति का
हस्ताक्षर
नाम, पदनाम और मुहार)

लागू न हो उसे काट दें।

टिप्पणी-

1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पणी-

2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पणी-

3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित ‘शून्य’ या ‘लागू नहीं होता’ उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पणी-

4. शपथपत्र टंकित या सुपाद्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पणी-

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामाले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो ‘शून्य’ या ‘लागू नहीं’ या ‘ज्ञात नहीं जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पणी-

6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

‘मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्याएं हैं/हैं..... 9939476883, 8292780189

मेरा ई-मेल आई० डी० (अगर कोई हो) है..... STSC@VSNL.net

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है..... X.....

टिप्पणी-

7. शपथ पत्र के पारा 8 में वित्तीय संस्थानों के प्रति दायित्वों में विदेशी बैंकों/संस्थाओं में जमा/निवेश सहित सूचना दें।

REQUEST FORM

For contact details of candidates standing in
33- Buxar Lok Sabha General Election – 2014

1	No. and Name of Lok Sabha Constituency	:	33 - BUXAR
2	Full Name of Candidate	:	SHYAM LAL SINGH KUSHWAHA
3	Sex	:	MALE
4	Age	:	59 YEARS
5	Party (mention 'independent' if not set- Up by political Party)	:	JANTA DAL UNITED
6	City / Area of Native Place Please enter your contact details below	:	BUXAR, BIHAR
7	Full Address	:	VILLAGE - AMATHUWAN POST - ARIAOON P/S - KRISHNA BRAMHA DISTRICT - BUXAR BIHAR PIN - 802119
8	Landline Phone No.	:	N.A.
9	Mobile phone No.	:	9939476683, 8292780189
10	E-mail address (if any)	:	stsc @ vsnl.net
11	Website address (if any)	:	N.A.
12	Social Media Account No. (if any)	:	N.A.

Shyam Lal Singh
Signature of Candidate

Party...JANTA DAL(UNITED)

सेवा में

निर्वाची पदाधिकारी,

33 – बक्सर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ।

महाशय,

मैं 33 – बक्सर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने हेतु नाम – निर्देशन हुआ हूँ। मैं मतपत्र में अपना नाम निम्न रूप से मुद्रित करने हेतु अनुरोध करता हूँ ।

मतपत्र में हिन्दी में नाम मुद्रण का हिज्जे	मतपत्र में अंग्रेजी में नाम मुद्रण का हिज्जे
श्यामलाल सिंह कुशवाहा	SHYAM LAL SINGH KUSHWAHA

विश्वासभाजन

Shyam Lal /
(अभ्यर्थी का पूरा हस्ताक्षर)

निर्वाचीय / राजनैतिक दल का नाम
जनता दल (मुनाइटुड)

FORM 'A'

MUNICATION WITH REGARD TO AUTHORISED PERSONS TO INTIMATE NAMES OF THE CANDIDATES
SET UP BY RECOGNISED NATIONAL OR STATE POLITICAL PARTY.

(See paragraph 13(c), (d) and (e) of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968.)

1. The Chief Electoral Officer,

.....(State/Union Territory).

2. The Returning Officer for the

33. BUXAR Constituency.

Subject :- General/Bye Elections to Legislative Assemblies/Lok Sabha 2014

from.....**BIHAR**.....(State/Union Territory)

Allotment of Symbols—Authorisation of persons to intimate names of candidates.

In pursuance of paragraph 13 (c), (d) and (e) of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, I here by communicate that the following person has been authorised by the JANATA DAL (United), which is a registered Party recognised State Party in Bihar to intimate the names of the candidates proposed to be set up by the party at the elections cited above.

Name of person authorised to send notice	Name of office held in the party	District(s) area constituency/constituencies in respect of which he has been authorised.
1	2	3
SHARAD YADAV	PRESIDENT	ALLOVER INDIA

Specimen signatures of SHARAD YADAV







Date : New Delhi

19.3.2014

This must be delivered to the Returning Officer and the Chief Electoral Officer not later than 3 p.m. on the last date for making nominations.


Form must be signed in ink by the office bearer (s) mentioned above. No facsimile signature or signature by means of rubber stamp, etc., of any office bearer shall be accepted.

No form transmitted by fax shall be accepted.



(Seal of the Party)

Yours faithfully,



(Sharad Yadav)

President

JANATA DAL (United)

7, Jantar Mantar Road,

New Delhi-110001

Tel. No. : 23368833

Fax No. : 23368138

FORM B
NOTICE AS TO NAME OF CANDIDATE SET UP BY THE POLITICAL PARTY

[See Para 13(b),(c) and (e) and 13 A of the Election Symbols (Reservation & Allotment) Order, 1968.]

To,

The Returning Officer for the..... 33, BUXAR..... Constituency.

Object : General/~~Bye~~ Election to LOK SABHA..... from 33, BUXAR.....(Name of the Constituency) in BIHAR.....(State/Union Territory) setting up of candidates.

- In pursuance of paragraph 13 (b),(c) and (e) and 13 A of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, I hereby give notice on behalf of JANATA DAL (United), that the person whose particulars are furnished in columns (2) to (4) below is the approved candidate of the party above named, and
- (ii) the person whose particulars are mentioned in columns (5) to (7) below is the substitute candidate of the party, who will step-in on the approved candidate's nomination being rejected on scrutiny or on his withdrawing from the contest, if the substitute candidate is still a contesting candidate at the ensuing general/bye election from this constituency.

Name of the Constituency	Name of the approved Candidate	Father's/Mother's/ Husband's name of approved Candidate	Postal address of approved candidate	Name of the substitute candidate who will step-in on the approved candidate's nomination being rejected on scrutiny or on his withdrawing from the contest if substitute candidate is still a contesting candidate.	Father's/Mother's/Husband's name of substitute Candidate	Postal address of substitute Candidate
1	2	3	4	5	6	7
33, BUXAR	SHYAM LAL SINGH KUSHWAHA	RAMDEO SINGH	At 17, AMATHUWA P.O. ARIADN DUMRAON Dist. BUXAR (BIHAR)	—	—	—

*2 The notice in Form 'B' given earlier in favour of Shri/Smt./Sushri as party's approved candidate/Shri/Smt./
Sushri..... as Party's substitute candidate is hereby rescinded.

Place New Delhi

Date 19.3.2014.

N.B

- 1 This must be delivered to the Returning Officer not later than 3 p.m. on the last date for making nominations.
- 2 Form must be signed in ink by the office bearer (s) mentioned above. No facsimile signature or signature by means of rubber stamp, etc., of any office bearer shall be accepted.
- 3 No form transmitted by fax shall be accepted.
- 4 Para 2 of the Form must be struck off, if not applicable, or must be properly filled, if applicable.



SEAL OF PARTY

Yours faithfully,

(SHARAD YADAV)
President
JANATA DAL (United)
7, Jantar Mantar Road,
New Delhi-110001